

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक:आई.-7/एफ.एस.(पेट्रोल पम्प) अम्बेडकरनगर/2016
सेवा में,

दिनांक-17-11-2016

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

विषय- क्षेत्रीय रीजनल मैनेजर वाराणसी रिटेल रीजन के पत्र संख्या-आर.यू0/ए0के0/753 दिनांक 06.09.2016 द्वारा गाटा सं0 539 स्थित भूमि ग्राम-मंसूरपुर, परगना-सुरहुरपुर, तहसील-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर नये पेट्रोल पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में तथा आपके पत्रांक:564/ई.आर.के./पेट्रोल पम्प-स्था0/अनापत्ति-प्रा0प0/2016, दिनांक 24 सितम्बर 2016 के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया-

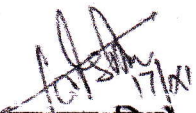
- 1- उपरोक्त प्रस्तावित स्थल शाहगंज अम्बेडकरनगर रोड पर ग्राम मंसूरपुर परगना-सुरहुरपुर, तहसील-जलालपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में स्थित है।
- 2- रोड वाइडनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है।
- 3- प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेशन लाइन नहीं गयी है।
- 4- एच.पी.सी. की प्रस्तावित एरिया 35X35 मीटर है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :-

- 1- ABC टाइप फायर एग्स्टिंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फ्यूल मशीन पर दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 2- जनरेटर रूम पर 9 किग्रा. क्षमता का CO₂ फायर एग्स्टिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 3- सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो-दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
- 4- धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।
- 5- प्रत्येक लुब्रीकेन्ट स्टोर में 9 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप-1 अदद तथा CO₂ टाइप 4.5 किग्रा. का एक अदद फायर एग्स्टिंग्यूशर लगाया जायेगा।
- 6- मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या-1 से 11 व क्रम संख्या-1 से 11 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।
- 7- बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 6 फिट से कम नहीं होगी।
- 8- रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6X3X3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग/रिफिलिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील रखना, ढाँचगत/अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।


(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।